दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर।

किसान सम्बल योजना

(शीर्ष बैंक के पत्र क्रमांक 9994 दिनांक 4–1–2013 से बिन्दु संख्या 5(ब), पत्र क्रमांक 481 दिनांक 15–04–2013 से बिन्दु संख्या 5(ब)।।। एवं संचालक मंडल की बैठक दिनांक 13–05–2013 में बिन्दु संख्या 5(ब) तथा संचालक मंडल की बैठक दिनांक 22–05–2014 में बिन्दु संख्या 5(स) ।। के संशोधनों को समाहित किया गया है।)

राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों की फसली ऋणों के अतिरिक्त कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सहकारी बैकों के स्तर पर उनकी शाखाओं एवं समितियों के माध्यम से ऋण वितरण हेतु ''किसान सम्बल योजना'' अगीकार करने का निर्णय लिया जाता है। योजना के प्रावधान निम्नानुसार होगेः–

पृष्ठ भूमिः–

सहकारी संस्थाओं का ''नेटवर्क'' पूरे राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। गत 3–4 वर्षो में सहकारी संस्थाओं के आन्तरिक संसाधनों में जमा संग्रहण, केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं की क्रियान्विति से वृध्दि हुई है। जिससे बैंक्स व समितियॉ अधिक सक्षम हुई है। अब आवश्यकता है जुटाये गये संसाधनों के लाभदायक विनियोजन की ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों/काश्तकारों की कृषि एवं कृषि सम्बध्द आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान में संचालित योजनाऐं उद्देश्य विशेष हेतु प्रचलन मे है, जिसमें गतिविधि विशेष हेतु मूलतः टर्म ऋण के रूप मे वित्त पोषण किये जाने का प्रावधान है। परन्तु त्वरित साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काश्तकार आज भी साहुकारों से ऋण लेते है, जिस पर अधिक ब्याज वसूला जाता है। अन्य वित्त दाता संस्थाओं यथा वाणिज्यक बैंकों/निजी बैंकों द्वारा सीधे अथवा फ्रेनचाईजी के माध्यम से सुविधाजनक शर्तों पर विभिन्न प्रयोजन हेतु ऋण वितरण कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय बढ़ाया जा रहा है, जिससे काश्तकारों का झुकाव शनै शनै वाणिज्यिक बैंकों की ओर बढ़ रहा है। सहकारी साख संरचना का ग्रामीण काश्तकारों से जुड़ाव निरन्तर बनाये रखने/वृध्दि करने एवं काश्तकारों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित की जा रही है।

1. योजना का नामः–

इस योजना का नाम ''किसान सम्बल योजना'' होगा।

2. . उद्देश्यः–

अ. किसानों को कृषि से सबध्द प्रयोजनों हेतु साख सीमा के रूप में वित्त सुविधा उपलब्ध करवाना जिससे उसके कृषि कार्यों में निरन्तरता बनी रहे तथा उसे साहूकारों के चुँगुल में नहीं फॅसना पड़े।

ब. बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का लाभकारी विनियोजन हो सके।

स. सहकारी समितियों के सदस्य किसान की सभी साख आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी साख संस्थाओं से की जा सके। जिससे वे अन्य वित्तीय संस्थाओं में न जावे व एक छत के नीचे समस्त सुविधा का लाभ उठा सके।

द. ऋण उपलब्ध कराने की सरल प्रक्रिया अपनाई जावे जिससे त्वरित ऋण उपलब्ध करवाया जा सके।

3. पात्र प्रयोजन :–

कृषि भूमि धारक को छोटे छोटे कृषि यंत्र बनवाने, डेयरी उद्देश्य–दुधारू पशु खरीद, पशु चिकित्सा, पशु बीमा, केटल शेड निर्माण, दुग्ध प्रस्करण यंत्र, पानी की खेली बनवाने– पम्प रिपेयर, पाईप लाईन, फव्वारा, लघु सिंचाई संबंधी निर्माण एवं मरम्मत, नालो की मरम्मत व सुधार, ट्रेक्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल खरीद व रिपेयर, थ्रेसर कुट्टी मशीन व कृषि यंत्रो की मरम्मत, उॅटगाड़ी, बैलगाड़ी की खरीद व मरम्मत, चारा उगाने, पशु पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बागवानी करने, नर्सरी विकास, कृषि भूमि की फेनसिंग, मण्डेर का निर्माण/मन्डेर की मरम्मत, विद्युत कनेक्शन करवाने, विद्युत लाईन की मरम्मत, बिजली बिल भुगतान, बीज उत्पादन, मेहदीं उत्पादन, फलदार पौधे के विकास, आदि उद्देश्य हेतु वित्त उपलब्ध करवाना।

4 पात्रताः–

अ काश्तकार जिले का निवासी हो।

ब. काश्तकार की स्वंय की कृषि भूमि हो। यह कृषि भूमि उसके वास्तविक कब्जे में हो तथा काश्तकार स्वंय काश्त करता हो।

स. भूमि पूर्णतया भार रहित हो एवं भूमि पर अन्य संस्था का भार दर्ज नहीं हो।

द. काश्तकार गत तीन वर्षो से ऋण चुकारे का दोषी नहीं होना चाहिये।

य. काश्तकार का सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक होगा। बैंक से सीधे ऋण लिये जाने की दशा में उसे बैंक का नोमीनल सदस्य बनना होगा।

5. ऋण राशि एवं सीमाः–

अ. कृषक आवेदक की कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर/बाजार मूल्य दोनो में से जो कम हो, के 50 प्रतिशत तक जिसमें काश्तकार के पक्ष में स्वीकृत फसली ऋण की साख सीमा राशि एवं मध्यकालीन ऋण की बकाया राशि यदि कोई हो कम करते हुऐ ऋण राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

ब. ऋण की अधिकतम सीमा

(।) केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा स्तर से ऋण वितरण की स्थिति में

अधिकतम सीमा असिंचित भूमि होने की दशा मे रू. 5.00 लाख या डीएलसी दर/बाजार मूल्य दोना में से जो कम हो, का 50 प्रतिशत हो व सिंचित भूमि होने की दशा में रू. 20.00 लाख तक प्रति सदस्य होगी।

(।।) समिति स्तर से ऋण वितरण की स्थिति में अधिकतम सीमा असिंचित भूमि होने की दशा मे रू. 50000 व सिंचित भूमि होने की दशा में रूपये 1.00 लाख तक प्रति सदस्य होगी।

सदस्य के पक्ष में ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण उपलब्ध भूमि के आधार पर होगा।

केन्द्रीय सहकारी बैंक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत ऋण सीमा का निर्णय संचालक मण्डल की बैठक में ले सकेगे।

(।।।)योजनान्तर्गत राशि रूपये 3.00 लाख से अधिक के ऋण प्रस्तावों में ऋण स्वीकृति से पूर्व ऋण की पुर्नभुगतान क्षमता का आंकलन किया जावेगा। आवेदक की वर्तमान आय एवं ऋण से सृजित होने वाली सम्पत्तियों से प्रस्तावित आय के योग की 50 प्रतिशत राशि ऋण के चुकारे हेतु आधार मानी जावेगी। साथ ही रूपये 3.00 लाख से अधिक के ऋण सावधि ऋण (टर्म ऋण) के रूप में ही स्वीकृत किये जा सकेगे। स्वीकृत ऋणों का शाखा प्रबंधक द्वारा वार्षिक आधार पर भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ऋण पत्रावली में संलग्न की जावेगी।

केन्द्रीय सहकारी बैंक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत ऋण सीमा का निर्णय संचालक मंडल की बैठक में ले सकेगें।

सम्पूर्ण राशि साख सीमा की बजाय टर्म ऋण के रूप में ऋण वितरण पर जोर दिया जावें, जिससे सम्पत्ति सृजन हो व काश्तकार सम्पत्ति से अर्जित आय से वास्तविक रूप से लाभान्वित हो।

स. इस योजना में काश्तकार को निम्नानुसार दो प्रकार से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगीः–

(।) उपरोक्त वर्णित प्रयोजनों अन्तर्गत अल्पकालीन साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार नकद साख सीमा के रूप में अधिकतम 5 वर्ष के लिए ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। स्वीकृत साख सीमा का वर्ष के दौरान खाते में कुल जमाओं एवं आहरण की विगत के आधार पर प्रति वर्ष 30 जून को नवीनीकरण किया जावेगा।

(।।) योजनान्तर्गत निवेश साख आवश्यकताओं हेतु टर्म ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा, जिसकी **अधिकतम अवधि 9 वर्ष** होगी। योजना की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत कृषक सदस्य को समय समय पर
आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार टर्म ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

द. उपरोक्तानुसार स्वीकृत दोनों प्रकार के ऋण की अधिकतम सीमा, योजनान्तर्गत वर्णित साख सीमा के अन्तर्गत होगी।

य. योजनान्तर्गत टर्म ऋण खाते में राशि अवधिपार रहने की स्थिति में साख सीमा का नवीनीकरण नहीं किया जावेगा। अवधिपार राशि के चुकारे पर साख सीमा का नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि खाते में कुल जमा राशियॉ कुल आहरण की राशि की तुलना में कम हो तो 30 जून को अथवा उससे 15 दिवस पूर्व खाता शून्य करना होगा तथा उसके पश्चात ही खाते का नवीनीकरण किया जावेगा।

र. कृषक सदस्य की आवश्यकतानुसार अधिकतम ऋण सीमा के अन्तर्गत टर्म ऋण साख सीमा ऋण की राशियों का निर्धारण किया जा सकेगा एवं ऋणी आवश्यकतानुसार स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत घटाया या बढाया जा सकेगा।

ल. खाते का संचालन संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत साख सीमा निरस्त जा सकेगी।

6. ब्याज दरः–

इस योजनान्तर्गत ऋण की ब्याज दर 11.50 प्रतिशत वार्षिक होगी। टर्म ऋण की किश्त जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में तथा लिमिट का नवीनीकरण नहीं होने स्थिति में अवधिपार राशि पर 3 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज अतिरिक्त रूप से वसूल कि जावेगा। ऋण पर ब्याज की वसूली छःमाही आधार पर 30 जून एवं 31 दिसम्बर को जावेगी।

केन्द्रीय सहकारी बैंक स्वंय के संसाधनों की लागत एवं बाजार दरों को दृष्टिगत रखते हुए सुझावित 11.50 प्रतिशत की ब्याज दर में संशोधन कर सकेगें।

7. पुनर्वित्तः–

अ. ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को 11.50 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाये गये ऋण हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा 9.50 प्रतिशत दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना सुझावित है।

ब. अपेक्स बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को इस योजनान्तर्गत बकाया अनावधिपार ऋण के 80 प्रतिशत तक पुर्नवित्त उपलब्ध करवाया जावेगा। इस योजनान्तर्गत पुर्नवित्त ब्याज दर अन्य कृषि निवेश योजनाओ हेतु ब्याज दर के अनुरूप होगी। अनावधिपार कंवर में कमी आने पर केन्द्रीय सहकारी बैंक को अन्तर के समानुपातिक राशि जमा करवानी होगी।

8. ऋण का चुकाराः–

अ. टर्म ऋण का चुकारा छः माही किश्तों में 30 जून एवं 30 दिसम्बर को करना होगा ।

ब स्वीकृत साख सीमा का प्रति वर्ष 30 जून को नवीनीकरण किया जाना होगा। स्वीकृति तिथि 1 जनवरी से 29 जून के मध्य होने की स्थिति में लिमिट का नवीनीकरण आगामी 30 जून को होगा, अर्थात लिमिट की नवीनीकरण अवधि ऐसे मामले में 1 वर्ष से अधिक हो सकेगी।

स. लिमिट उपयोग हेतु काश्तकार से कोटेशन/बिल की मॉग नहीं की जावेगी

तथा शाखा स्तर पर चेक के माध्यम से तथा समिति स्तर पर चेक/नकद भुगतान किया जावेगा।

9. ऋण की सुरक्षाः–

अ. बैंक/समिति द्वारा एक सक्षम व्यक्तिं की व्यक्तिगत जमानत प्राप्त की जावेगी।

ब. ऋणी द्वारा भार मुक्त कृषि भूमि ऋण की सुरक्षा में रहन रखी जावेगी। कृषि भूमि के भारमुक्त होने के प्रमाण स्वरूप तहसीलदार/उप पंजीयक कार्यालय में बैंक/समिति के पक्ष में भार दर्ज करवाया जावेगा एवं भार दर्ज की जमाबंदी रिकार्ड में रखी जावेगी।

स. आवेदक व गारन्टर का समिति का सदस्य होना आवश्यक होगा। बैंक द्वारा ऋण दिये जाने की दशा में आवेदक व जमानतदार बैंक के नोमीनल सदस्य होगे।

द. इस योजनान्तर्गत ऋण तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जबकि भूमि विकास बैंक या अन्य बैंक में भूमि बन्धक नहीं होगी।

10. ऋण प्रक्रियाः–

अ. आवेदक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति जिसका वह सदस्य है के व्यवस्थापक को ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। व्यवस्थापक द्वारा ऋण आवेदन को योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत जॉच कर अपनी अनुशंषा/टिप्पणी 3 दिवस में प्रबन्धसमिति में रखी जावेगी। प्रबन्ध समिति द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्वंय के कोषों से दिये जाने वाले ऋण स्वंय के स्तर से स्वीकृत किये जा सकेगे।

ब. ऐसे ऋण जिन हेतु ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक से पुनर्भरण प्राप्त किया जाना है, केन्द्रीय सहकारी बैंक की संबंधित शाखा के माध्यम से संचालक मण्डल के निर्णयानुसार स्वीकृत कराये जावेगे।

स. भूमि की डी.एल.सी. मूल्य/बाजार दर की जानकारी समिति/बैंक को करनी होगी जिसके आधार पर वेल्यूऐशन करते हुए ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

11. ऋण स्वीकृति के अधिकारः–

ऋण स्वीकृति का अधिकार संचालक मण्डल में निहित होगा।

12. दस्तावेजः–

अ. आवेदक द्वारा साधारण कागज पर ऋण का प्रयोजन एवं आवश्यकता दर्शाते हुऐ फोटो युक्त ऋण आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

ब. आवेदक द्वारा रू. 100.00 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जावेगा जिसमें ऋण का प्रयोजन अंकित होगा।

स. कृषि भूमि के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज यथा वर्तमान चालू जमा बंदी, खसरा गिरदावरी, नक्शा भूमि आदि जमा करवाये जावे।

द. नो ड्यूज हेतु घोषणा पत्र

य. ऋण स्वीकृति संबंधी अन्य दस्तावेज यथा वचन पत्र, जमानत नामा आदि प्राप्त किये जावेंगें।

13 अन्यः–

अ. ऋण स्वीकृति हेतु संचालक मण्डल/प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार सर्विस चार्ज वसूल किये जा सकेगे। इसके लिए ऋण राशि के 0.50 प्रतिशत की दर सुझावित है। सर्विस चार्ज न्यूनतम रू. 100/– व अधिकतम रू. 500/– प्रति सदस्य हो सकेगा।

ब. बैक/समिति द्वारा क्रियान्विति की जाने वाली बीमा योजनाओं का ऋणी को सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

स. काश्तकार को आगामी फसली ऋण तभी मिल पावेगा जब कि यह खाता नियमित रहे।

द. योजना के प्रावधानों में अपेक्स बैंक/सहकारी विभाग/नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संशोधन संचालक मण्डल द्वारा किये जावेगे।